



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-18022025-261142  
CG-RJ-E-18022025-261142

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 856]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2025/माघ 29, 1946

No. 856]

NEW DELHI, TUESDAY, FERUARY 18, 2025/ MAGHA 29, 1946

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 18 फरवरी, 2025

**का.आ. 862(अ).**—केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम 2008 (2008 का 11) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण उनके नीचे अनुसूची में दिया गया है। गुजरात राज्य के महेसाणा जिले में विशेष रेल परियोजना “तरंगाहिल-आबू रोड वाया अंबाजी -नई बड़ी लाइन परियोजना (116.654 कि. मी.)” के विकास हेतु के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं प्रचालन के लिये अपेक्षित है, ऐसी भूमिका अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, अधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप धारा (1) के तहत उपरोक्त उद्देश्य के लिये ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग संबंध में आपत्ति कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आदेश सक्षम अधिकारी अर्थात् सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी खेरालु, जिला -महेसाणा, गुजरात को लिखित रूप से किया और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच यदि कोई है जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे करने के पश्चात आदेश द्वारा या तो आक्षेप का अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

### अनुसूची

#### RUB (रोड अंडर ब्रिज) के लिए

भारतीय रेल की विशेष रेल परियोजना के लिये संरचना सहित या संरचना रहित अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण  
तारंगा हिल-अंबाजी-आबू रोड के बीच नई बड़ी लाइन परियोजना

संख्या	जिला	तहसील	गाँव	नया खसरा सं	पुराना खसरा सं	भूमि के प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र (Sq.M.)
1	महेसाणा	खेरालु	डभोडा	495	574/3p	व्यक्तिगत	कृषि	892
2	महेसाणा	खेरालु	डभोडा	484	568	व्यक्तिगत	कृषि	1
3	महेसाणा	खेरालु	डभोडा	494	574/2p	व्यक्तिगत	कृषि	42
4	महेसाणा	खेरालु	डभोडा	501	579	व्यक्तिगत	कृषि	391
5	महेसाणा	खेरालु	डभोडा	507.002	582/1	व्यक्तिगत	कृषि	58
6	महेसाणा	खेरालु	डभोडा	509	583/p	व्यक्तिगत	कृषि	29
7	महेसाणा	खेरालु	डभोडा	557	649	व्यक्तिगत	कृषि	87
8	महेसाणा	सतलासणा	शाहूपुरा	107	64/1	व्यक्तिगत	कृषि	146
9	महेसाणा	सतलासणा	टिम्बा	375	389	व्यक्तिगत	कृषि	21
10	महेसाणा	सतलासणा	टिम्बा	273	467	व्यक्तिगत	कृषि	283
11	महेसाणा	सतलासणा	टिम्बा	373	386	व्यक्तिगत	कृषि	308
12	महेसाणा	सतलासणा	टिम्बा	374	388	व्यक्तिगत	कृषि	139
13	महेसाणा	सतलासणा	टिम्बा	392	303p	व्यक्तिगत	कृषि	550
14	महेसाणा	सतलासणा	वाव	304	215	व्यक्तिगत	कृषि	4
15	महेसाणा	सतलासणा	बेडस्मा	280.002	148/1	व्यक्तिगत	कृषि	125
16	महेसाणा	सतलासणा	भानावास	56	51	व्यक्तिगत	कृषि	1
अवास की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)								3077
अवास की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)								0.3077

[फा. सं. उपरे/मुख्या./सा.&नि./443599200 भाग-12]

वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

### MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

### NOTIFICATION

Jaipur, the 18th February, 2025

**S.O. 862(E).**—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 20A of the Railway Act 2008, (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for execution. Maintenance, management and operation of Special Railway Project of “Taranga Hill - Abu Road via Ambaji New

BG Line (116.65 Km)" (for Sub Division/Prant Officer Kheralu, District Mehsana) in the state of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to competent authority, namely, the Sub Division/Prant Officer Kheralu, in District Mehsana) in the state of Gujarat, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objection and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority

### SCHEDULE

#### For RUB(Road Under Bridge)

**Brief discription of the land to be acquired, with or without structure for Special Railway Project of Indian Railways Namely, New BG Line Project Between Taranga Hill-Ambaji-Abu Road**

Sr. No.	District	Taluka	Village	NEW Survey No.	OLD Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area to be Acquired (Sq.M.)
1	Mahešana	Kheralu	Dabhoda	495	574/3p	Private Land	Agriculture	892
2	Mahešana	Kheralu	Dabhoda	484	568	Private Land	Agriculture	1
3	Mahešana	Kheralu	Dabhoda	494	574/2p	Private Land	Agriculture	42
4	Mahešana	Kheralu	Dabhoda	501	579	Private Land	Agriculture	391
5	Mahešana	Kheralu	Dabhoda	507.002	582/1	Private Land	Agriculture	58
6	Mahešana	Kheralu	Dabhoda	509	583/p	Private Land	Agriculture	29
7	Mahešana	Kheralu	Dabhoda	557	649	Private Land	Agriculture	87
8	Mahešana	Satlasana	Shahupura	107	64/1	Private Land	Agriculture	146
9	Mahešana	Satlasana	Timba	375	389	Private Land	Agriculture	21
10	Mahešana	Satlasana	Timba	273	467	Private Land	Agriculture	283
11	Mahešana	Satlasana	Timba	373	386	Private Land	Agriculture	308
12	Mahešana	Satlasana	Timba	374	388	Private Land	Agriculture	139
13	Mahešana	Satlasana	Timba	392	303p	Private Land	Agriculture	550
14	Mahešana	Satlasana	Vav	304	215	Private Land	Agriculture	4
15	Mahešana	Satlasana	Bedasma	280.002	148/1	Private Land	Agriculture	125
16	Mahešana	Satlasana	Bhanavas	56	51	Private Land	Agriculture	1
<b>Total Area to be Acquired in Square Meter</b>								3077
<b>Total Area to be Acquired in Hectare</b>								0.3077

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.XII]

VED PRAKASH, Chief Administrative Officer (Construction)